

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

7/2/2022

S. Singh

गोमिठा

अधिवक्ता वादीगण श्री प्रमरलाल श्रीणा मय
वादी उपस्थित।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 अनुपस्थित।
अधिवक्ता वादीगण ने मूल वाद की नियत
तिथी दिनांक 23/3/2022 से आज ही चलाने
निये जाने एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश
23 नियम-3 सी.पी.सी. पर मूल वाद ने
वादीगण को खुला जाकर वाद को विद्वे
निये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रार्थना-पत्र का मूल वाद में अपलोमन
करं वादी अधिवक्ता व वादी को खुला गया।
जिससे वादीगण का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र
मूल वाद में अधिवक्ता वादीगण की वक्तव्य
पर भजन किया जाकर पंजावली का अपलोमन
किया गया। मूल वाद संख्या 73/2021
रामेश कुमार व अन्य 4 ओमप्रकाम व अन्य
द्वारा 53, 188, 92 (A) R.F.A. प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत आदेश नियम-3 सी.पी.सी. स्वीकार
किया जाकर वादीगण को नया वाद लाने की
अनुमति दी जाकर मूल वाद जरिये विद्वेवल
स्वारित किया गया।

अतः मूल वाद स्वारित होने से प्रार्थना-
पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्वान कारतमारी
अधिनियम 1955 का प्रार्थना-पत्र का कोई
औचित्य नहीं होने से प्रार्थना-पत्र 212 R.F.A.
का स्वारित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 7/2/2022 को मेरे दाय
लिखवाया जाकर सरे इफलास खुलाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

